सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(ईडीआई अनुभाग)
सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान की स्कीम

उद्देश्य

"सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान" के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) एक संयुक्त समूह अथवा उसके विशिष्ट खण्डों के रूप में विनिर्माण और सेवाओं में नियोजित (चाहे सूक्ष्म/लघु उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग अथवा कयर की श्रेणी में हों) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं के संबंध में प्राथमिक, द्वितीयक या अन्य स्रोतों से नियमित रुप से/समय-समय पर संगत और विश्वसनीय आंकड़ा एकत्र करना।

(ii) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में सूलमउ द्वारा सामना की जाने वाली बाध्यताओं एवं चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों के बारे में आनुभविक आंकड़ों के आधार पर अथवा अन्यथा अध्ययन और विश्लेषण करना।

(iii) नीति अनुसंधान के लिए इन सर्वेक्षणों और विश्लेषण अध्ययनों के परिणामों का उपयोग करना तथा इनके द्वारा सतत रोजगार के सृजन को विस्तार देने तथा उनकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इन उद्यमों को चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करने तथा सक्षम बनाने के लिए स्वयं के द्वारा अथवा निजी सार्वजनिक भागीदारी पद्धति में सरकार द्वारा उपयुक्त रणनीति तथा हस्तक्षेप के उपाय तैयार करना।

2. कार्यक्षेत्र

इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित लाभ के क्षेत्र, लेकिन सीमित नहीं, शामिल हैं:

(i) (क) शीघ्र प्रवेश और आसान निकास (ख) कार्यात्मक सुगमता तथा कार्य पूरा करने की लेन-देन लागत में कमी (ग) विनियामक प्रक्रियाओं और क्रियाविधि, आदि का सरलीकरण और सुमेलन आदि उद्देश्यों के साथ सतत उद्यमों के सांविधिक और अन्य रूप में विनियमन तथा ऐसे वर्गीकरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक और मानदंड, उद्यमों के वर्गीकरण के लिए मानदंड जैसे क्षेत्रवार मुद्दे।

(ii) संबंधित नीतियों आदि के उद्देश्य के संदर्भ में सूलमउ के लक्षित भागों पर सहायता की वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभाव का समवर्ती/आवधिक मूल्यांकन/आकलन।

(iii) वैश्विक संदर्भ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दृष्टि से तथा संपूर्ण सूलमउ या उसके विशिष्ट भाग के संदर्भ में ऋण प्रवाह, रूग्णता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना सहायता, विपणन (निर्यातों सहित), उद्यम प्रबंधन पद्धतियां, बौद्धिक सम्पदा अधिकार जैसे मुद्दें।

(iv) उद्यमों/उद्यमों के संघों के क्षमता निर्माण और उनके सशक्तिकरण के उपाय, जिनमें महिलाओं और/अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यम और, उद्यमों या उनके द्वारा संचालित उद्यमों पर विशेष जोर देना तथा देश के कम विकसित क्षेत्रों/राज्यों में उद्यमों का संवर्धन और विकास करना।

(v) उद्यमिता विकास और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की समस्याएं।

(vi) सेवाएं प्रदान करने में सरकार की मौजूदा संस्थाओं की भूमिका और क्षमता, जिन कार्यों के लिए उन संस्थाओं को अधिदेश प्राप्त है तथा उनके मानव संसाधन और कार्यात्मक पद्धतियों में सुधार के लिए उपाय।

(vii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में कोई अन्य मामला।

3. <u>कार्यात्मक व्यवस्थाएं</u>

(i) स्कीम के संचालन का पर्यवेक्षण संयुक्त सचिव (एसएमई) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति जिसमें आर्थिक सलाहकार (आईएफडब्ल्यू) और उप सचिव/निदेशक (ईडीआई) सदस्य के रूप में होंगे, द्वारा किया जाएगा। समिति सदस्यों के रूप में संबंधित प्रभाग(गों) के प्रतिनिधि(यों) को सहयोजित कर सकती है और विशेष आमंत्रित, जहां आवश्यक हो, बाह्य विशेषज्ञ को लगा सकती है।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीनस्थ संबंधित प्रभागों एवं संगठनों के माध्यम से ही प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के अंतर्गत विचार किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीनस्थ प्रभाग/संगठन स्कीम के अंतर्गत अध्ययनों, सर्वेक्षण और नीतिगत अनुसंधान शुरू करने अथवा कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में उप सचिव (ईडीआई) को टीओआर के साथ प्रस्ताव भेज सकते हैं। समिति प्रस्तावों की जाँच करेगी और अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करेगी।

(iii) जीएफआर 2017 (नियम 177-196) के अनुसार उपर्युक्त पैरा (ii) में यथा उल्लिखित, अनुमोदन के उपरांत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीनस्थ संबंधित संगठनों अथवा प्रभाग को प्रस्तावित अध्ययन शुरू करने के लिए परामर्शदाता का चयन करना चाहिए। परामर्शदाताओं का चयन प्रतिस्पर्धात्मकता बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अध्ययन चिन्हित परामर्शदाताओं को दिया जा सकता है, यदि संबंधित प्रभाग अथवा संगठन लिखित में दर्ज किए गए कारणों से यह पाता है कि चिन्हित परामर्शदाता अध्ययन शुरू करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बोली शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है (जीएफआर 2017, नियमः 94) जीएफआर-2017, नियम - 183 में प्रदत्त हित की अभिव्यक्ति के माध्यम से अध्ययन भी प्रदान किया जा सकता है। परामर्शदाता और शामिल लागत को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत संबंधित प्रभाग/संगठन पुनः अनुमोदन के लिए एसएमई प्रभाग को उनकी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव भेजेंगे।

(iv) लागत सहित संचालन समिति की सिफारिशें सचिव (एमएसएमई) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

(v) प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरांत, संबंधित प्रभाग/संगठन द्वारा औचपारिक रूप से प्रस्तावित अध्ययन सौंपा जायेगा जो कि प्रशासनिक अनुमोदन जारी करेगा। इन दिशा-निर्देशों के अनुबंध के रूप में संलग्न मसौदा समझौते के अनुसार संबंधित प्रभाग/संगठन भी परामर्शदाताओं के साथ समझौता करेंगे।

(vi) परामर्शदाताओं को भुगतान संबंधित प्रभाग/संगठन की सिफारिशों और एकीकृत वित्त स्कंध के परामर्श पर नीचे दी गई भुगतान शर्तों के अनुसार ईडीआई अनुभाग द्वारा स्कीम शीर्ष से किया जाएगा।

(vii) अध्ययन पूरा होने के बाद, रिपोर्ट की एक प्रति संगठन/परामर्शदाता को भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने के अनुरोध के साथ एसएमई प्रभाग को भेजी जानी चाहिए।

4. <u>परामर्श संगठनों/संस्थानों का सूचीकरणः</u> जीएफआर 177 से 184 की शर्तों में उपयुक्त परामर्शी संगठनों/संस्थानों की पहचान को सुसाध्य बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उनसे प्राप्त आवेदनों के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। सूचीबद्ध आवेदन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलाय को निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-II) में प्रस्तुत किए जाएंगे। उपर्युक्त पैरा 3 में संदर्भित संचालन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो कि 3 वर्षों के लिए ऐसे मामलों की सिफारिश करेगी।
सूचीबद्ध एजेंसियों के डेटाबेस मंत्रालय की वेबसाइट पर रखे जाएंगे और वर्ष में एक बार अद्यतन किए जायेंगे।

5. <u>भुगतान की शर्तें</u>

इन स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान की शर्तें निम्नानुसार होंगीः-

(i) प्रथम किस्तः समझौते पर हस्ताक्षर करने पर शुल्क का अधिकतम 20 प्रतिशत।

(ii) द्वितीय किस्तः 50 प्रतिशत, जो कि (क) समझौते में तय सीमा के अंतर्गत (कार्यकारी सारांश समेत मसौदा रिपोर्ट की 5 प्रतियाँ) मसौदा रिपोर्ट को जमा किया जाना और (ख) संबंधित प्रभाग/संगठन के समक्ष रखे जाने के लिए मसौदा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण तथा सामान्य रूप से स्वीकार्य पाई जाने वाली मसौदा रिपोर्ट।

(iii) तीसरी और अंतिम किस्तः अंतिम रिपोर्ट जमा किए जाने पर तथा संबंधित प्रभाग/संगठन के प्रमुख की स्वीकृति पर शेष 30 प्रतिशत। संबंधित प्रभाग/संगठन के प्रमुख द्वारा उपयुक्त अनुमोदन के बिना रिपोर्ट सौंपे जाने में विलम्ब होने पर प्रति सप्ताह 5 प्रतिशत का अर्थ दंड लगेगा तथा शेष 30 प्रतिशत तय दिनांक से पांच सप्ताह से आगे रिपोर्ट जमा करने में विलम्ब होने पर अर्थदंड के रूप में जब्त किया जाएगा।

(iv) अंतिम भुगतान रिपोर्ट की स्वीकृति तथा संगठन/परामर्शदाताओं द्वारा बिलों आदि को जमा करने के 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।

6. <u>अन्य सामान्य निबंधन एवं शर्तें</u>

इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए लागू अन्य सामान्य निबंधन एवं शर्तें निम्न होंगीः-

(i) यह कार्य समझौते में निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा। निर्धारित समय से आगे रिपोर्ट को जमा करने में विलम्ब हेतु समझौता में दी गई शर्तों के अनुसार अर्थदंड लगेगा। कार्य सौंपे जाने वाले परामर्शदाताओं के नियंत्रण से बाहर के घटकों के लिए संस्था के अनुरोध पर समय पर उपयुक्त विस्तार किया जा सकता है।

(ii) सरकार समझौता में तय सीमा से आगे कार्य की लागत में किसी बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त राशि नहीं देगी।

(iii) संगठन द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, अध्ययन के कुल शुल्क में सेवा कर और यदि कोई अन्य कर/लेवी हो तो वह शामिल होगा, तथा कर के भुगतान की देनदारी अध्ययन संपादित करने वाले संगठन/परामर्शदाताओं की होगी।

(iv) अंतिम रिपोर्ट की 10 हार्ड प्रतियां, कार्यकारी सारांश की 15 हार्ड प्रतियां तथा अंतिम रिपोर्ट की 10 सी.डी. भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने से पूर्व जमा की जाएगी।

(v) कार्य के दौरान, विचारार्थ विषय और कार्य की अन्य निबंधन और शर्तों, यदि आवश्यक हो, संबंधित संस्थान की सहमति से कार्यक्षेत्र/कवरेज की मजबूती/गहराई के लिए संशोधन किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो, ऐसे संशोधन अध्ययन के दौरान एक बार से अधिक नहीं किए जाएंगे। यदि विचारार्थ विषय में वास्तविक एवं बड़े परिवर्तनों के कारण मूल लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी बढ़ी लागत समिति के अनुमोदन एवं एकीकृत वित्त स्कंध की सहमति के अधीन मूल लागत के अतिरिक्त अधिकतम 25% तक सीमित होगी।

(vi) मसौदा/अंतिम रिपोर्ट और उसकी विषय-वस्तु सरकार की बौद्धिक संपदा होगी तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित संस्था द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(vii) अध्ययन के दौरान परामर्शदाता/टीम लीडर में परिवर्तन होने की स्थिति में नए परामर्शदाता/टीम लीडर को संबंधित प्रभाग/संगठन से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर संस्था द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

(viii) परामर्शदाता की अपनी हैसियत या शेयर होल्डिंग अथवा परामर्शदाता के किसी गारंटर की हैसियत या शेयर होल्डिंग संबंधित प्रभाग/संगठन के किसी आर्थिक परिवर्तन के बारे में सरकार को सूचित करेगा, जबकि इस प्रकार का परिवर्तन समझौते के अंतर्गत परामर्शदाता के कार्यनिष्पादन की अपेक्षाओं पर प्रभाव डालेगा।

(ix) यदि अध्ययन के दौरान परामर्शदाता का निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो समझौते को समाप्त किया जा सकता है तथा परामर्शदाता को पहले भुगतान की गई राशि को वापस लेने के लिए संबंधित प्रभाग/संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(x) अपरिष्कृत आंकड़े/तैयार आंकड़े/निष्कर्ष संबंधित प्रभाग/संगठन के पूर्वानुमोदन के बिना किसी तीसरे पक्ष को संस्थान द्वारा नहीं दिखाए जाने चाहिए।

*****

सर्वेक्षणों, अध्ययनों तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता सेवाओं के लिए समझौता

समझौता

यह समझौता दिनांक (कार्य के प्रारंभ की तारीख लिखें) को संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (क्लाइंट) जिनका प्रधान कार्यस्थल उद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से परामर्शदाता की ओर से भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति और----------(परामर्शदाता का नाम लिखें) ("परामर्शदाता") जिसका प्रधान कार्यस्थल (परामर्शदाता का पता लिखें) है, के बीच किया जाता है।

जबकि, क्लाइंट इसके बाद सन्दर्भित कार्य को परामर्शदाता द्वारा किए जाने के लिए इच्छुक है, और

और जबकि, परामर्शदाता उक्त कार्य को निष्पादित किए जाने के लिए इच्छुक है,

अब, इसलिए, पक्षकार एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमति करते हैः

1. सेवाएं (i) परामर्शदाता इस समझौते ('कार्य') के अभिन्न भाग अनुबंध 'क' (संलग्न करें) में यथा निर्दिष्ट ''विचारार्थ विषय एवं कार्य क्षेत्र' ' के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा।

(ii) परामर्शदाता कार्य निष्पादित करने के लिए 'परामर्शदाता कार्मिक' को अनुबंध 'ख' (संलग्न करें) के अनुसार सूचीबद्ध कार्मिक उपलब्ध कराएगा।

(iii) परामर्शदाता इस समझौते के दिशानिर्देशों के पैरा 4 एवं अनुबंध 'ग' ''परामर्शदाता रिपोर्टिंग बाध्यताओं (संलग्न करें) यथानिर्दिष्ट अनुसार आपसी सहमित से फॉर्म और संख्याओं में तथा समय अवधि में रिपोर्ट क्लाइन्ट/सरकार को प्रस्तुत करेगा।

2. कार्यकाल परामर्शदाता इस समझौते की तारीख से 120 दिनों अथवा पक्षों द्वारा बाद में लिखित में यथा सहमत अवधि के भीतर कार्य निष्पादित करेगा जो परामर्शदाता के आरोप्य विलम्ब के लिए परिसमाप्त क्षति के अधीन है।

3. भुगतान क. सीमा

कार्य के लिए सरकार परामर्शदाता को राशि (राशि भरें) का भुगतान करेगी। इस राशि में परामर्शदाता की सभी लागत तथा सुपुर्द कार्य तथा परामर्शदाता पर लगाई गई कोई कर बाध्यता शामिल हैं।

ख. भुगतान अनुसूची

भुगतान अनुसूची नीचे दी गई हैः

(मुद्रा एवं राशि भरें) परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस समझौते की एक प्रति की प्राप्ति पर;

परामर्शदाता से प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा सरकार को स्वीकार्य होने पर (मुद्रा एवं राशि भरें) और

परामर्शदाता से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा सरकार को स्वीकार्य होने पर (मुद्रा एवं राशि भरें)

(मुद्रा एवं राशि भरें) कुल

(ग) भुगतान शर्तें

(i) इस समझौते के हस्ताक्षर होने पर स्वीकार्य भुगतान परामर्शदाता से प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त होने तक इसकी वैधता सहित अनुसूचित बैंक से सरकार के पक्ष में समतुल्य राशि की बैंक गारंटी के समक्ष तथा सरकार को स्वीकार्य पाए जाने पर किया जाएगा।

(ii) अंतिम भुगतान पैराग्राफ 4 में नामोद्दिष्ट समन्वयक को पूर्ण इनवाइस की दो प्रतियों में परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह से पहले या सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार कर लेने पर, जो भी बाद में हो, किया जाएगा।

4. परियोजना प्रशासन

क. समन्वयकर्ता

प्रभाग/संगठन का नाम इस कार्य के लिए, क्लाइन्ट के समन्वयक के रूप में श्री/श्रीमती (नाम एवं पदनाम लिखें) को नामोद्दिष्ट करता है। समन्वयक रिपोर्टों की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए तथा सरकार द्वारा अन्य सुपुर्दगीयोग्य चीजों तथा भुगतान इनवायस अनुमोदित करने के लिए इस समझौते के अंतर्गत कार्यकलापों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

ख. रिपोर्ट

स्कीम के दिशानिर्देशों के पैरा 4 और 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध रिपोर्ट कार्य सौंपने के दौरान प्रस्तुत की जाएंगी तथा उपर्युक्त खंड-3 के अंतर्गत भुगतान किए जाने का आधार होगी।

5. कार्यनिष्पादन मानक - परामर्शदाता सर्वोत्तम व्यावसायिक एवं नैतिक सक्षमता तथा सत्यनिष्ठता से कार्य निष्पादित करता है। परामर्शदाता इस संविदा के अंतर्गत 7 दिनों से पहले किसी कर्मचारी को शीघ्र प्रतिस्थापित करेगा जिसे क्लाइन्ट असंतोषप्रद समझता है।

6. गोपनीयता परामर्शदाता सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सेवाओं, इस समझौते या सरकार के कारोबार या संचालन से संबंधित कोई स्वामित्व या गोपनीय सूचना प्रकट नहीं करेगा।

7. सामग्री का स्वामित्व - इस समझौते के अंतर्गत सरकार के लिए परामर्शदाता द्वारा कोई अध्ययन, तैयार की गई रिपोर्ट या अन्य सामग्री, ग्राफिक, सॉफ्टवेयर या अन्यथा सरकार की सम्पति

होगी और रहेगी। परामर्शदाता इस समझौते के प्रयोजन से ऐसे दस्तावेज एवं सॉफ्टवेयर की प्रति रख सकता है।

8. बीमा परामर्शदाता अपने खर्च पर किसी उपयुक्त बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. पुनःसौंपना परामर्शदाता सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते या उप संविदा का कोई भाग पुनः नहीं सौंपेगा।

10. विवाद का समाधान - इस समझौते से उत्पन्न किसी विवाद का पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्वक निपटान नहीं किया जा सकता है, उसे सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामोद्दिष्ट मध्यस्थ की मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम,1996 के प्रावधान, समय-समय पर यथा संशोधित, लागू होंगे। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के पास न्यायाधिकार होगा।

11. चूकपूर्ण कार्यक्रम i) उल्लिखित अवधि से परे किसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने सम्बन्धी विलम्ब में यह शर्त है कि फोर्स मेजर की अवधि एवं सरकार को देय मात्र विलम्बों के लिए चूक नहीं होगी।

ii) व्यावसायिक गुणवत्ता की कमी से सरकार को अस्वीकार्य हो रही कोई रिपोर्ट।

iii) इस समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन।

12. चूक के परिणाम i) परामर्शदाता की ओर से कोई चूक होने की स्थिति में, सरकार इस समझौते को समाप्त कर सकती है और चुकाई गई धनराशि की वापसी का दावा कर सकती है अथवा बैंक गारंटी को इनवोक कर सकती है और कोई और भुगतान करने से इनकार कर सकती है।

ii) मात्र 5 सप्ताह से अनधिक विलम्ब तक सीमित हो रही चूक के मामले में प्रति सप्ताह विलम्ब के लिए संविदा की राशि 5 प्रतिशत की दर से सरकार द्वारा स्वीकृत परिसमाप्त क्षतियाँ, संविदा की राशि की किसी 25 प्रतिशत से अनधिक, वैकल्पिक रूप से दावा कर सकती है।

13. फार्स मेजर पक्षकार एक सीमा तक अपनी संबंधित बाध्यताओं के निष्पादन को माफ करने के लिए पात्र होंगे यदि वे फोर्स मेजर की स्थिति में संविदा का निष्पादन करने में असमर्थ हैं। इस कारण से राहत का दावा करने वाला पक्षकार फोर्स मेजर घटना के बारे में तत्काल अवगत हो जाएगा और अन्य पक्षकार को तरीके से अवधि को बताते हुए सूचना देगा और उस अवधि जिसके दौरान उनके कर्तव्यों के निष्पादन को प्रभावित होने की संभावना है।

समझौता फोर्स मेजर से आशय दैवी घटना, युद्ध या भारतीय नागरिक होहल्ला या आम हड़ताल (अपने कर्मचारियों को छोड़कर) को प्रभावित करने वाला समान कार्य से है जो प्रभावित पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे हैं।

14. सूचना सभी पत्राचार के लिए पक्षकारों का पताः

सरकारः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, संयुक्त सचिव (एसएमई), कमरा सं.122 बी, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

परामर्शदाताः

पूर्वप्रदत्त पंजीकृत डाक या स्पीडपोस्ट द्वारा उपर्युक्त पते पर भेजी गई सभी सूचनाएं या फैक्स द्वारा अपनी सुपुर्दगी या ईमेल की पुष्टि सहित उपर्युक्त पते पर भेजी गई सभी सूचनाएं प्रेषिति द्वारा समय से प्राप्त मानी जाएंगी और वे प्रेषिति की ओर से सुपुर्द/प्राप्त होनी चाहिए।

पते में कोई परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक अन्य पक्षकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, विधिवत् रूप से अधिकृत किए जा रहे इस समझौते के पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने अब तक अपने हाथों से तैयार किया है और--------के दिन-----को उपस्थित होकर निष्पादित किया है।

भारत के राष्ट्रपति/प्रभाग/संगठन के प्रमुख की ओर से	**परामर्शदाता की ओर से**
हस्ताक्षर----------	हस्ताक्षर----------
पदनाम----------	पदनाम----------
की उपस्थिति में---------	की उपस्थिति में ----------

अनुबंध-II

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सर्वेक्षण, अध्ययन, और नीतिगत अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत सूचीकरण के लिए आवेदन पत्र।

क्रम सं.	विवरण	
1.	आवेदक संगठन का नाम	
2.	सम्पर्क नं. के साथ पूरा पता	
3.	पंजीकरण के दिनांक सहित स्थिति का विवरण (गैर सरकारी संगठन, पंजीकृत सोसाइटी, कम्पनी आदि)	
4.	उपलब्ध विशेषज्ञों के पैनल के विवरण के साथ विशेषज्ञता का क्षेत्र	
5.	अध्ययन आयोजित करने में विगत अनुभव, यदि कोई हो, (विगत 5 वर्ष का)	
6.	एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विगत अनुभव, यदि कोई हो।	
7.	गवर्निंग/प्रबंधन निकाय/निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण	
8.	विगत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट	

दिनांकः

हस्ताक्षर,
(संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)